(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZATTE - EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

**No. F.14(9)/LA-2005** / 127 Dated The 30th March, 2005

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, on the 29th March, 2005 and is hereby published for general information :-

" THE DELHI APPROPRIATION (NO. 1) ACT, 2005
**(Delhi Act 6 of 2005)**

**(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 23rd March, 2005)**

(29th March, 2005)

AN ACT to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2004-2005.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Fifty-sixth Year of the Republic of India as follows:-

**Short title.**

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2005.

**Issue of** Rs. 1666,29,67,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2004-2005.

2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column (5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of One thousand six hundred sixty six crores twenty nine lakhs and sixty seven thousand rupees only towards defraying the several charges which will come in course of payment during the financial year 2004-2005 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

3. The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said period.

## THE SCHEDULE

**(See sections 2 and 3)**

(Rs. in thousands)

| DEMAND NO. | SERVICES AND PURPOSES | | SUMS NOT EXCEEDING Voted by the Legislative Assembly | Charged on the Consolidated Fund | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 2 | General Administration | Revenue | 23144 | 4248 | 27392 |
| 3 | Administration of Justice | Revenue | 78670 | 18900 | 97570 |
| 4 | Finance | Revenue | 25917 | 74342 | 100259 |
| 5 | Home | Revenue | 84956 | 1244 | 86200 |
| 6 | Education | Revenue | 1000 | 0 | 1000 |
| | | Capital | 200 | 0 | 200 |
| 7 | Medical and Public Health | Revenue | 337402 | 1064 | 338466 |
| 8 | Social Welfare | Revenue | 1300 | 200 | 1500 |
| | | Capital | 500 | 0 | 500 |
| 9 | Industries | Revenue | 191408 | 5282 | 196690 |
| | | Capital | 200 | 0 | 200 |
| 10 | Development | Revenue | 500 | 1239 | 1739 |
| | | Capital | 400 | 17100 | 17500 |
| 11 | Urban Development and Public Works | Revenue | 2931351 | 0 | 2931351 |
| | | Capital | 8006600 | 300000 | 8306600 |
| | Public Debt. | Revenue | 0 | 0 | 0 |
| | | Capital | 0 | 4555800 | 4555800 |
| | **Total** | | 11683548 | 4979419 | 16662967 " |

**(P.S. Parmar)**

**Deputy Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs)**

(दिल्ली राजपत्र – असाधारण भाग 4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)

क.सं. एफ.14(9)/विधायी कार्य–2005/127 दिनांकः 30 मार्च, 2005

उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की दिनांक 29 मार्च, 2005 को मिली अनुमति के पश्चात राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित अधिनियम जन साधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जा रहा है:–

" दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम, 2005

(2005 का दिल्ली अधिनियम 6)

**(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा दिनांक 23 मार्च, 2005 को यथा पारित (29 मार्च, 2005)**

वर्ष 2004–2005 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक अधिनियम ।

इसे भारतीय संविधान के 56 वें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की विधान सभा द्वारा निम्नानुसार अधिनियमित किया जाए।

**संक्षिप्त शीर्षक।** (1) इस अधिनियम को विनियोग (संख्या–1) अधिनियम 2004 कहा जाए।

**1666,29,67,000/– रुपयों का वर्ष 2004–2005 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त।** (2) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक हजार छह सौ छियासठ करोड़ उन्नतीस लाख सड़सठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यो के सम्बन्ध में वर्ष 2004–2005 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

**विनियोजन।** (3) इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

## अनुसूची

(खण्ड 2 व 3 देखे)

(रुपये हजारों में)

राशी इससे अधिक नहीं

| मांग संख्या | सेवायें एवं उददेश्य | | विधान सभा द्वारा स्वीकृत | संचित निधी पर भारित | जोड़ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 2 | सामान्य प्रशासन | राजस्व | 23144 | 4248 | 27392 |
| 3 | न्याय प्रशासन | राजस्व | 78670 | 18900 | 97570 |
| 4 | वित्त | राजस्व | 25917 | 74342 | 100259 |
| 5 | गृह | राजस्व | 84956 | 1244 | 86200 |
| 6 | शिक्षा | राजस्व | 1000 | 0 | 1000 |
| | | पूंजी | 200 | 0 | 200 |
| 7 | चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य | राजस्व | 337402 | 1064 | 338466 |
| 8 | समाज कल्याण | राजस्व | 1300 | 200 | 1500 |
| | | पूंजी | 500 | 0 | 500 |
| 9 | उद्योग | राजस्व | 191408 | 5282 | 196690 |
| | | पूंजी | 200 | 0 | 200 |
| 10 | विकास | राजस्व | 500 | 1239 | 1739 |
| | | पूंजी | 400 | 17100 | 17500 |
| 11 | शहरी विकास एवं लोक निर्माण | राजस्व | 2931351 | 0 | 2931351 |
| | | पूंजी | 8006600 | 300000 | 8306600 |
| | सार्वजनिक ऋण | राजस्व | 0 | 0 | 0 |
| | | पूंजी | 0 | 4555800 | 4555800 |
| | जोड़ | | 11683548 | 4979419 | 16662967 |

(पी.एस. परमार)

उप सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)